Research Guru
Online Journal of Multidisciplinary Subjects (ISSN : 2349-266X)
Volume-14, Issue-3, December-2020
www.researchguru.net

# मानवाधिकार संरक्षण और शांति-अहिंसा ऐक अध्ययन

**BALUBHAI RAMBHAI MODHVADIYA**

MASTER OF LAW

LL.M (HR&IHL), G-SET, UGC-NET With JRF, Ph.D. Continuous

Ph.D. (JRF) Scholar

DEPARTMENT OF HUMAN RIGHTS & INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAWS,

SAURASHTRA UNIVERSITY RAJKOT.

Email Address- modhvadiyabalu112@gmail.com

Mo. N.- 75677 06799

***सार:- (Abstract)***

*प्रकृति की गहराईयों में सभी मनुष्य एक समान हैं। अग्नि, वायु, आकाश, रसातल और जल सभी प्राकृतिक तत्वों मे प्रत्येक मनुष्य की समान हिस्सेदारी होती है। भौगोलिक कारणों के कारण, मनुष्य की विचारधारा और व्यवहार समान नहीं लगते, प्रत्येक व्यक्ति- व्यक्ति के बीस विचारधारा में परिवर्तन होता है, विचारधारा के भेदभाव के कारण प्राकृतिक तत्वों का संतुलन बनाए नहीं रखा जाता है, फिर "अधिकार" का जन्म होता है।*

*मनुष्य प्राकृतिक समय चक्र यानी प्रकृति का एक हिस्सा है, इसलिए प्रकृति को सकारात्मक रूप से समन्वित करना सभी मनुष्यों का नैतिक कर्तव्य है। कर्तव्य और अधिकार हमेशा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सामान्य रूप से "किसी व्यक्ति को बाहरी आचरण के लिए कुछ हद तक शासक द्वारा दी गई सहमति" यह अधिकार है, जब कोई व्यक्ति सहज रूप से क्या बुरा है और क्या अच्छा है यह एहसास करते यह कर्तव्य है। मानवाधिकारों का उस देश में स्वतः संरक्षण होता है जहाँ नागरिक अपना कर्तव्य निभाते हैं।*

***कीवर्ड:-(Keywords)***

*मानव अधिकार, संरक्षण, शांति, अहिंसा, प्रकृति*

---

## परिचय:-(Introduction)

मानव को प्रकृति से जो अधिकार प्राप्त हैं यही मानवाधिकार है, इनमें जीवन का अधिकार, समानता, स्वतंत्रता और व्यक्ति की गरिमा शामिल हैं। प्राकृतिक तत्वों का उपयोग करते हुए जीवन जीना हर इंसान के लिए एक दिव्य आशीर्वाद है, यह हमारी वैदिक संस्कृति में देखा जाता है। मानवाधिकारों के मूल्य वैदिक संस्कृति की नींव में पाए जाते हैं। हमारे राष्ट्र पर विदेशी शासकों के शासन द्वारा वैदिक संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया गया है, लेकिन सनातन धर्म में लोगों की अटूट आस्था के कारण वर्तमान समाज में वैदिक संस्कृति के मूल्यों को अभी भी देखा जाता है।अतीत के दो विश्व युद्धों को पूरी दुनिया के लिए एक घृणित घटना कहा जा सकता है,जिसके विपरीत प्रभावों ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया था इसे दूर करने के साथ-साथ विश्व शांति और सुरक्षा के लिए, दुनिया के अधिकांश देशों ने एक साथ आकर संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की।

संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकारों और मानवीय कानून के लिए मानक स्थापित किए इस अवधि के दौरान, हमारा देश स्वतंत्र हो गया, इसलिए वैश्विक स्तर पर मानव अधिकारों के संबंध में स्थापित मानक भारतीय संविधान और कानूनों में परिलक्षित होते हैं।

उद्देश्य:-(object)

१. मानवाधिकारों की अवधारणा समाज के लोगों में विकसित करने का उद्देश्य।

२. मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए नागरिकों को कानूनी प्रावधानों से अवगत कराने का उद्देश्य।

३. राष्ट्र में शांति और अहिंसा का उपयोग करने से मानवाधिकारों की रक्षा होती है उस संबंध में नागरिकों को जागृत करने का उद्देश्य।

अनुसंधान क्रियाविधि:-(Research Methodology)

यह शोध पत्र सैद्धांतिक अनुसंधान पद्धति का उपयोग करके तैयार किया गया है जिसमें माध्यमिक साहित्य का सर्वेक्षण करके जानकारी प्राप्त की है।

मानव अधिकारों का इतिहास:-

दुनिया के पहले मानवाधिकार अवधारणा के हिस्से के रूप में मैग्ना कार्टा चार्टर को 15 जून 1215 को इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा न्यायपालिका की शुरुआत करते हुए प्रख्यापित किया गया था। इसके बाद 1689 में इंग्लिश बिल्स ऑफ राइट्स की शुरुआत हुई जिसमें गैरकानूनी डिटेंशन से संरक्षण का हैबिटेट कोर्स के कानुन पास किया गया, 1789 में ध फ्रेन्च डेकलेरेशन ओन ध राइट्स ओफ मेन ऐन्ड सीटीझन-व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संबंध में अधिकार घोषित हुवा, 1791 मे ध यु. एस. कोन्स्टीटयुशन ऐन्ड बिल ओफ राइट्स- संयुक्त राज्य अमेरिका में संवैधानिक कानून का प्रवर्तन हुवा, 1824-1850 में ब्रिटिश संस्थानों से गुलामी की प्रथा को समाप्त कर दिया गया,1850-1900 में अमेरिका से गुलामी की प्रथा को समाप्त कर दिया गया, 1900-1925 में ब्रिटेन में महिलाओं का मताधिकार मिला, इस प्रकार, समय बीतने के साथ, दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों के शासकों ने अपनी सीमाओं के भीतर सीमित संख्या में लोगों के जीवन स्तर में सुधार करके विश्व स्तर पर मानव अधिकारों के विकास में मदद की है।

बीसवीं शताब्दी की शुरुआत में प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध का प्रकोप देखा गया, देशों के बीच भूमि और साथ ही विचारधारा के सवाल के पीछे दुनिया के लोग चींटियों की तरह मरने लगे द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बमों के उपयोग के साथ ही, पूरे विश्व में भय का वातावरण फैल गया, आदमी आदमी का दुश्मन बन गया। इस तरह की स्थिति को रोकने के लिए लिंग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 1945 में संयुक्त राष्ट्र (युनो) की स्थापना हुई। इसके मुख्य उद्देश्य सुरक्षा, विश्व शांति और सामाजिक प्रगति थे।10 दिसंबर, 1948 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई जींस में 30 अनुच्छेद दिया गया, उनके सदस्य राष्ट्रों द्वारा इसे अपनाने से व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा होती है। जैसे-जैसे समय बदल रहा है,

मानवाधिकारों की विभिन्न पीढ़ियों का विस्तार हो रहा है, जो विश्व स्तर पर मानवाधिकारों की वृद्धि के हिस्से के रूप में नए मानकों को स्थापित करके कार्यान्वित किया जा रहा है।

मानवाधिकारों की अवधारणा:-

सामान्य रूप से मानव अधिकार जन्म से मृत्यु तक मानव के प्राकृतिक अधिकार हैं। मनुष्य को माता के गर्भ से लेकर जीवन के अंत तक ऐसा जीवन जीना जहां प्राकृतिक अधिकार उपलब्ध हों, उसे मानव अधिकार कहे जा सकते हैं।

परिभाषा:-

मानवाधिकारों की अवधारणा बहुत व्यापक है, वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, लेकिन हमारे देश में मानवाधिकारों की परिभाषा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम-1993 की धारा 2 (डी) में परिभाषित है।

“मानव अधिकारों का अर्थ है संविधान के अंतर्गत गारंटित अथवा अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदाओं में सम्मिलित तथा भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय जीवन, स्वतंत्रता, समानता तथा व्यक्ति की गरिमा से संबंधित अधिकार।’’

भारतीय संस्कृति में मानव अधिकार:-

ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥

उपरोक्त श्लोक में भारतीय वैदिक संस्कृति को दर्शाती है, यह व्यक्त किया जाता है कि हर कोई बीमारी से मुक्त और खुश रहेगा और हर कोई अच्छा होगा। भारतीय प्राचीन संस्कृति "दुनिया एक परिवार है" के मूल्यों का प्रतीक है। सनातन धर्म की संस्कृति ने दुनिया के सभी धर्मों के लोगों को समान रूप से मानने और उन्हें सम्मान के साथ स्वीकार कर के आश्रय दिया है। हमारे धर्मग्रंथ रामायण और भागवत गीता पूरे विश्व के लोगों को आदर्श व्यक्तित्व और शांति-अहिंसा का संदेश देते हैं। सनातन वैदिक संस्कृति में, ईश्वर के रूप में प्राकृतिक तत्वों की पूजा करना पूरी दुनिया के लिए हमेशा पर्यावरण संरक्षण का संदेश है। वेद और उपनिषद एक सदस्य समाज में व्यक्तियों को सकारात्मक रूप से एकीकृत करके एक आदर्श जीवन जीने के बारे में हैं। मानव अधिकारों को भारतीय संस्कृति में बुना जाता है, इसलिए मानव अधिकारों को भारतीय संस्कृति का प्रतिबिंब कहा जा सकता है।

मानव अधिकारों का संरक्षण:-

मनुष्यों द्वारा कर्तव्यों को पूरा करके ही मानव अधिकारों की रक्षा की जा सकती है:-

सामान्य रूप से कर्तव्य का अर्थ है हर समय मनुष्य के मौलिक व्यवहार का अनुकरण करना। कर्तव्य हमेशा एक व्यक्ति की छाया की तरह सभी के साथ होते हैं। शुद्ध बुद्धि वाला व्यक्ति विवेक से तय करता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक कर्तव्य है। व्यक्ति द्वारा परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व के प्रति कर्तव्यों के कार्यान्वयन से मानव अधिकारों की रक्षा होती है। प्रत्येक मनुष्य के कर्म राष्ट्र के शांति और सामाजिक

विकास को प्रभावित करते हैं। यदि राष्ट्र के नागरिकों को अपने कर्तव्यों के बारे में पता है, तो एक आदर्श सदस्य समाज बनाया जा सकता है और सभी वर्गों के मानव अधिकारों की रक्षा की जा सकती है।

किसी भी राष्ट्र में मानव अधिकारों का संरक्षण नागरिकों के मानस पर निर्धारित किया जाता है, सकारात्मक दृष्टिकोण वाले नागरिक एक राष्ट्र की सबसे मूल्यवान पूंजी होते हैं जहां सामाजिक सद्भाव और शांति के कारण मानव अधिकारों की रक्षा की जाती है। मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए कानूनी प्रावधान निम्नानुसार हैं।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों का संरक्षण

●अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय:-

यदि कोई राज्य (राष्ट्र) मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है, तो यह उनके खिलाफ कार्रवाई करता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा मानवाधिकारों का संरक्षण उन मामलों में जहां राष्ट्र द्वारा नरसंहार और अल्पसंख्यकों के शोषण के साथ-साथ कुछ धर्मों के लोग निरंतर भय में रहते हैं, मानवीय कानून का उल्लंघन करते हैं यानी अवैध युद्ध लड़ते हैं, न्याय ओर कानुनी उचित प्रक्रिया के बिना किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड किया जाता है, तब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा मानव अधिकार का संरक्षण किया जाता हैं।

●संयुक्त राष्ट्र:-

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति, सुरक्षा और सामाजिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के अपने प्रयासों के हिस्से के रूप में, यह संयुक्त राष्ट्र की जिम्मेदारी है कि वह मानवाधिकार का खतपत्र और मानांक तैयार करे और मानवाधिकारों सदस्य राज्यों पर लागू करे, उनके उल्लंघन की स्थिति में शिक्षात्मक कार्यवाही करके मानव अधिकारों की रक्षा करता है।

राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों का संरक्षण

●भारतीय संविधान द्वारा मानव अधिकारों का संरक्षण:-

भारतीय संविधान के भाग -3 में निहित मौलिक अधिकार मानव अधिकारों के समान हैं। कोई भी व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर करके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए निवारण की तलाश कर सकता है।

●मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

शिकायत, जांच, रिपोर्ट

- राज्य मानवाधिकार आयोग

शिकायत, जांच, रिपोर्ट

शांति, अहिंसा और मानव अधिकार:-

भौगोलिक कारणों से दुनिया के विभिन्न देशों के लोगो की आदत और विचारधारा अलग हैं, जिसके कारण राष्ट्रों के बीच छोटे और बड़े टकराव होते हैं, यह स्वाभाविक है, उन छोटे – छोटे टकराव बड़े संघर्षों में नहीं बदले हो सभी देशों की संयुक्त

ज़िम्मेदारी है। पूरी दुनिया में शांति और अहिंसा के संदेश में संपूर्ण विश्व का कल्याण निहित है। वैश्विक स्तर पर शांतिपूर्ण वातावरण बनाने से राष्ट्रों के सामाजिक विकास के साथ-साथ एक आदर्श सदस्य समाज का निर्माण होता है।

दुनिया भर के राष्ट्रों को एक साथ आना चाहिए और एक शांतिपूर्ण वातावरण बनाना चाहिए और भविष्य के साथ-साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इस अमूल्य धरोहर के साथ उपहार के लिए प्रयास करना चाहिए।

सुझाव:-(Suggestions)

●मानव अधिकार नागरिकों का जन्मसिद्ध अधिकार है इसलिए नागरिकों को इस बारे में ज्ञान होना चाहिए।

● प्रशासन को मानव अधिकारों के बारे में समाज में जागरूकता लाने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए।

● यदि मानव अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो नागरिकों को कर्तव्यों का भी उतना ही महत्व होना चाहिए जितना कि अधिकारों का देते है।

● यदि राष्ट्र में शांति और अहिंसा के माध्यम से मानव अधिकारों की रक्षा की जाती है, तो प्रत्येक नागरिक को इस संबंध में जिम्मेदार होना चाहिए।

निष्कर्ष:-(Conclusion)

भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के बारे में, महात्मा गांधीजी ने संविधान सभा को एक राय दी गई थी कि यदि नागरिकों को उनके कर्तव्यों के बारे में जागरूक किया जाता है, तो अधिकार स्वतः ही पूरे हो जाएंगे, यह मंतव्य पूरी दुनिया के लिए एक आशीर्वाद हो सकता है। यदि मानव को अपने कर्तव्यों के बारे में जागरूक किया जाता है, तो अधिकारों का दायरा सीमित हो जाएगा और एक आदर्श समाज का निर्माण होगा। मैं मानव परिवार, जाति और समाज का प्रतिनिधि हूं, मेरी सुरक्षा, आजादी, विकास, गौरव, सद्भावना और सुख व शांति की - बुनियाद मुख्य रूप से मेरे ही कर्मों पर आधारित है यह मूल्य प्रत्येक व्यक्ति में उत्पन्न होता है तब मानव अधिकार का संरक्षण किया जाता शक्ता है।

Reference: -

Book

1. International Human Rights Law (BOOK)

   Author Dr. M. K. Padalia

Websites

https://nhrc.nic.in/

https://nhrc.nic.in/statecommission/gujarat-human-rights-commission

https://www.un.org/en/observances/non-violence-day